प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन का अध्याय-1 सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्रों का सामान्य परिचय एवं प्रत्येक क्षेत्र के लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा देता है।
3. इस प्रतिवेदन का अध्याय-2 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यूज) का सामान्य परिचय देने के साथ-साथ क्षेत्र से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा, एक सरकारी विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के निष्कर्षों की रुपरेखा देता है।
4. इस प्रतिवेदन के अध्याय-3 में राजस्व क्षेत्र का सामान्य परिचय एवं राजस्व क्षेत्र में हुई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभागीय केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।
5. इस प्रतिवेदन का अध्याय-4 आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज) के सामान्य परिचय तथा सभी चार क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेन-देन लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बन्धित है।
6. 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे की जाँच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को समाविष्ट करते हुए, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन-शीर्ष के अन्तर्गत पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
7. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रकरणों में, जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की ले प की प्रक्रिया में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे पर पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, एवं वर्ष 2011-12 की अवधि के उपरान्त भी संज्ञान में आये प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित हैं।
8. भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च, 2002) के अनुरूप ले प का सम्पादन किया गया है।